32 10 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यकारियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सीएमडी तथा वित्तीय संस्थानों के विरूद्ध शिकायत

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 11 मार्च, 2010 के समसंख्यक का.ज्ञा. का हवाला देने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त का.ज्ञा. के पैरा 3 एवं 5 में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

पैरा 3 के प्रथम वाक्य में:

के लिए "सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के मुख्य कार्यकारियों तथा फंक्शनल निदेशकों तथा सार्वजनिक उपक्रम वाले बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के सीएमडी तथा फंक्शनल निदेशकों के विरूद्ध मंत्रिमंडलीय सचिवालय अथवा सीवीसी अथवा डीपीई अथवा प्रधानमंत्री कार्यालय में प्राप्त छद्म अथवा सच्ची शिकायत की जांच सर्वप्रथम मंत्रिमंडलीय सचिवालय में सचिव (समन्वय) द्वारा की जाएगी।"

पढ़ें "सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के मुख्य कार्यकारियों तथा फंक्शनल निदेशकों तथा सार्वजनिक उपक्रम वाले बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के सीएमडी तथा फंक्शनल निदेशकों के विरूद्ध मंत्रिमंडलीय सचिवालय अथवा डीपीई अथवा प्रधानमंत्री कार्यालय में प्राप्त छद्म अथवा सच्ची शिकायत की जांच सर्वप्रथम मंत्रिमंडलीय सचिवालय में सचिव (समन्वय) द्वारा की जाएगी।"

पैरा 5 में:

के लिए: "चूकि गठित समूह भी सीवीसी अधिनियम या पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर रिजॉल्यूशन के तहत सीवीसी को प्राप्त शिकायतों की जांच करेगा, अतः सीवीसी द्वारा अग्रेषित शिकायतों को देखनेवाले समूह द्वारा प्रारंभ की गई जांच/समीक्षा की स्थिति के बारे में सीवीसी को नियमित अंतराल पर सूचित किया जाता रहेगा।"

पढ़ें: "गठित समूह भी सीवीसी अधिनियम या पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर रिजॉल्यूशन के तहत सीवीसी को प्राप्त शिकायतों की जांच करेगा, अतः सीवीसी द्वारा अग्रेषित शिकायतों को देखनेवाले समूह द्वारा प्रारंभ की गई जांच/समीक्षा की स्थिति के बारे में सीवीसी को नियमित अंतराल पर सूचित किया जाता रहेगा।"

(डीपीई का. ज्ञा.सं. 15(1)/2010–डीपीई (जीएम), दिनांकः 12 अप्रैल, 2010)

*****